मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XV | अंक 3 | सितंबर 2019

विषयवस्तु

	अनुभाग	पृष्ठ
i.	चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा पर आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट	1
ii.	सरकार का बैंक	1
iii.	बैंकिंग विनियमन	2
iv.	बैंकिंग पर्यवेक्षण	2
v.	वित्तीय समावेशन	2
vi.	भुगतान और निपटान प्रणाली	3
vii.	अनुसंधान	3
viii.	डेटा जारी	4
ix.	रिपोर्ट	4
x.	रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधनतंत्र का भाषण	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका माह सितंबर में धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए नए विकासात्मक और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in से एक्सेस साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन कर किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और सूचना के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं को साझा करने, शिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा पर आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट

चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट 26 सितंबर 2019 को पब्लिक डॉमेन पर रखी गई है। दूसरे द्विभाषिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ घोषित विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में रिज़र्व बैंक द्वारा बताया गया था कि वर्तमान चलनिधि प्रबंधन ढांचे को सरल बनाने और इसके उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने और चलनिधि प्रबंधन के लिए साधन सुझाने के उद्देश्य से चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करने हेतु एक आंतरिक कार्य समूह का गठन किया जाएगा। समूह द्वारा निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की गई हैं :

❐ वर्तमान चलनिधि प्रबंधन ढांचे को मोटे तौर पर अपने वर्तमान स्वरूप – लक्ष्य दर के रूप में कॉल मनी दर के साथ एक कॉरिडोर प्रणाली – में जारी रखा जाना चाहिए।

❐ ढांचा लचीला होना चाहिए। कॉरिडोर प्रणाली में सामान्य रूप से प्रणाली में कम चलनिधि की अपेक्षा होती है, फिर भी अगर वित्तीय स्थितियां चलनिधि अधिशेष की अपेक्षा दर्शाती है, तो ढांचा तदनुसार होना चाहिए।

❐ परिचालनों की संख्या को कम रखना चलनिधि ढांचे का एक प्रभावी लक्ष्य होना चाहिए। परिणामस्वरूप, आदर्श रूप से एक दिन में एकल सिंगल ओवरनाइट परिवर्तनीय दर परिचालन होना चाहिए, जो आवश्यकतानुसार फाइन-ट्यूनिंग परिचालन द्वारा समर्थित हो।

❐ सुनिश्चित चलनिधि का वर्तमान प्रावधान – एनडीटीएल के 1% तक– अब आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रस्तावित चलनिधि ढांचा पूरी तरह से प्रणाली की चलनिधि जरूरतों को पूरा करेगा।

❐ बड़े घाटे या अधिशेष के बने रहने की यदि अपेक्षा की जाती है, तो इसे उपयुक्त स्थायी चलनिधि परिचालन के माध्यम से ऑफसेट किया जाना चाहिए। ओएमओ और विदेशी मुद्रा स्वैप के अलावा, समूह ने बाजार से संबंधित दरों पर लंबी अवधि के रेपो परिचालनों की सिफारिश की है।

❐ मुद्रा बाजार परिचालन (एमएमओ) प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से दैनिक प्रसारण को चलनिधि परिचालन के 'प्रवाह' प्रभाव को शामिल करके विकसित किया जाना चाहिए। पारदर्शिता में सुधार के लिए, बैंकिंग प्रणाली की स्थायी चलनिधि स्थिति का मात्रात्मक मूल्यांकन भी प्रकाशित किया जा सकता है।

समूह की सिफारिशों और आम जनता की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए चलनिधि ढांचे को अंतिम रूप दिया जाएगा। सम्पूर्ण रिपोर्ट रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखी गई है और यहाँ क्लिक करके देखी जा सकती है।

II. सरकार का बैंक

सरकारी प्राप्तियों के विलंबित विप्रेषण के संबंध में ब्याज की वसूली

रिज़र्व बैंक ने दोनों केंद्र और राज्य सरकार के लेनदेनों के रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में एकरूपता लाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया है कि ₹ 500/– या उससे कम की राशि होने पर दण्डात्मक ब्याज

की विलंबित अवधि के फुटकर दावों को छोड दिया जाएगा और यह दण्डात्मक ब्याज की परिधि से बाहर होगा तथा प्रति लेनदेन के आधार पर ₹ 500/- की दण्डात्मक ब्याज की सीमा लगाई जाएगी। राज्य सरकारों को भी इस अनुदेश के बारे में सूचित किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

III. बैंकिंग विनियमन

III अ) लघु वित्त बैंकों को 'मांग पर' लाइसेंस प्रदान करने परड्राफ्ट दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 जून 2019 को अपने दूसरे द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20 में की गई घोषणा के अनुसार 'निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को मांग पर लाइसेंस प्रदान करने पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश' हितधारकों और जनता की प्रतिक्रिया के लिए 13 सितंबर 2019 को अपनी वेबसाइट पर जारी किए। ड्राफ्ट दिशानिर्देशों को यहाँ क्लिक करके पढ़ा जा सकता है।

III ख) बृहत एक्सपोजर ढांचा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 सितंबर 2019 को यह निर्णय लिया है कि किसी एकल एनबीएफ़सी (स्वर्ण ऋण कंपनियों को छोड़कर) के प्रति बैंक के एक्सपोजर को बैंक के पात्र पूंजी आधार के 20 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा। मुख्य रूप से स्वर्ण के प्रति ऋण देने वाली एनबीएफ़सी को बैंक का एक्सपोजर दिनांक 18 मई 2012 के परिपत्र में दी गई सीमाओं द्वारा अधिशासित होगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

III ग) उपभोक्ता क्रेडिट के लिए जोखिम भार

तीसरे मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक वक्तव्य में उल्लेख किए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 सितंबर 2019 को यह निर्णय लिया है कि क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों को छोड़कर व्यक्तिगत ऋण सहित उपभोक्ता क्रेडिट के लिए जोखिम भार को 100% तक कम करने का निर्णय लिया है। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, उपभोक्ता ऋण पर, व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों को शामिल करते हुए लेकिन शैक्षिक ऋणों को छोड़कर, प्रतिपक्षकार की बाहरी रेटिंग के अनुसार आवश्यक पाए जाने पर, 125 प्रतिशत या उससे अधिक का उच्चतर जोखिम भार लगाया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में बताया था कि क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तिगत ऋण सहित उपभोक्ता क्रेडिट के लिए जोखिम भार 100% तक कम कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

III घ) बाह्य बेंचमार्क आधारित ब्याज दर

पांचवें द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य और पहला द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार,रिज़र्व बैंक ने 4 सितंबर 2019 को बैंकों के लिए सभी नए अस्थिर दर वाले व्यक्तिगत और खुदरा ऋणों और एमएसएमई को दिए जाने वाले अस्थिर दर वाले ऋणों को बाह्य बेंचमार्क से जोड़ने के कार्य को 1 अक्टूबर 2019 से अनिवार्य किया है। बैंक परिपत्र में दर्शाए गए कई बेंचमार्कों में से एक का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंक बेंचमार्क दर पर अपने स्प्रेड का चयन करने के लिए भी इस शर्त के अधीन स्वतंत्र हैं कि ऋण जोखिम प्रीमियम में परिवर्तन तभी हो सकता है जब उधारकर्ता के ऋण मूल्यांकन में वस्तुगत परिवर्तन हुआ हो, जैसा कि ऋण अनुबंध में स्वीकृत किया गया है। बाह्य बेंचमार्क आधारित ब्याज दर पर विस्तृत परिपत्र वेबसाइट पर रखा गया है और यहाँ क्लिक करके देखा जा सकता है।

IV. बैंकिंग पर्यवेक्षण

IV क) वाणिज्यिक बैंकों में समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली

रिज़र्व बैंक ने 18 सितंबर 2019 को वाणिज्यिक बैंकों में समवर्ती लेखा प्रणाली के दिशानिर्देशों की समीक्षा और संशोधन करने का निर्णय लिया। यह देखा गया है कि बैंकों में केंद्रीकरण के विभिन्न स्तरों, विभिन्न बैंकों द्वारा की गई गतिविधियों की विविध प्रकृति और छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों द्वारा परिचालन शुरू करना, सभी बैंकों के लिए लागू समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए काम का एक समान कार्यक्रम वांछनीय नहीं हो सकता है। मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की गयी और उसमें संशोधन किया गया । संशोधित दिशानिर्देशों को पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. वित्तीय समावेशन

V अ) कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह

भारतीय रिज़र्व बैंक ने छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा, 2018-19 के दौरान अपने विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में कृषि ऋण की समीक्षा के लिए घोषित आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) गठन ने, 06 सितंबर 2019 को अपनी रिपोर्ट गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की।

समीक्षा के दायरे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

i) ऋण पहुंच: संस्थागत ऋण, पहुंच को प्रभावित करनेवाले उपाय और कारक

ii) लागत प्रभावी और समावेशी प्रणाली: ऋण और समावेश में आसानी

iii) ऋण अनुशासन: राज्य के वित्त और कृषि ऋण पर ऋण छूट का प्रभाव। कृपया पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

V ख) प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र को उधार के अंतर्गत निर्यात का वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 20 सितंबर 2019 को निर्यात क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय किया है कि दिनांक 7 जुलाई 2016 को जारी प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण पर मास्टर निदेश (4 दिसंबर 2018 को अद्यतन) के पैरा 8, निर्यात ऋण से संबंधित, में निम्नलिखित बदलाव किए जाए:

i. पीएसएल के तहत निर्यात ऋण के वर्गीकरण हेतु स्वीकृत सीमा को बढ़ाकर ₹250 मिलियन प्रति उधारकर्ता से ₹400 मिलियन प्रति उधारकर्ता किया जाए।

ii. ₹1 बिलियन तक के टर्नओवर वाले यूनिट' संबंधी मौजूदा मानदंडों को हटा दिया जाए।

पीएसएल के तहत 'वृद्धिशील निर्यात ऋण, जो पूर्ववर्ती वर्ष की तदनुरूपी तारीख को विद्यमान निर्यात ऋण से अधिक है, एएनबीसी अथवा तुलन–पत्र से इतर एक्सपोजर की सममूल्य राशि का ऋण के 2 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, को वर्गीकृत करने हेतु घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए जारी मौजूदा दिशानिर्देश उक्त उल्लेखित (i) में दिए गए मानदंडों के अधीन लागू होना जारी रहेगा। कृपया अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

VI. भुगतान और निपटान प्रणाली

VI अ) विफल लेनदेन के लिए टर्न अराउंड टाइम हार्मोनाइजिंग और ग्राहक मुआवजा

जैसा कि 2019–20 के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में कहा गया है, रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है और सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों के लिए मुआवजे की रूपरेखा तैयार की है। इससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और असफल लेनदेन के प्रसंस्करण में एकरूपता आएगी। निर्धारित टीएटी असफल लेनदेन के समाधान के लिए बाहरी सीमा है और बैंक और अन्य परिचालक/ सिस्टम प्रतिभागी विफल लेनदेन के त्वरित समाधान के लिए प्रयास करेंगे। जिन ग्राहकों को टीएटी में परिभाषित विफलता के निवारण का लाभ नहीं मिलता है, वे बैंकिंग लोकपाल को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

VI ख) भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देशों पर चर्चा पत्र

रिजर्व बैंक ने 17 सितंबर 2019 अपनी वेबसाइट पर भुगतान गेटवे और भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए दिशानिर्देशों पर एक चर्चा पत्र सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा है। 2018–19 के लिए छठे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने घोषणा की थी कि भुगतान गेटवे प्रदाताओं और भुगतान एग्रीगेटर की भुगतान गतिविधियों से संबंधित व्यापक दिशानिर्देशों पर हितधारकों के साथ परामर्श के लिए पब्लिक डॉमेन में एक चर्चा पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। रिज़र्व बैंक ने सभी हितधारकों और जनता से 17 अक्टूबर 2019 तक पॉलिसी पेपर पर टिप्पणियां आमंत्रित की है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

VI ग) बीबीपीएस – बिलर श्रेणियों का विस्तार

2019–20 के लिए तीसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय किया कि भारत बिल भुगतान प्रणाली के क्षेत्र और कवरेज में स्वैच्छिक आधार पर सभी बिलरों को पात्र प्रतिभागी के रूप में शामिल किया जाए जो आवर्ती बिलों (प्रीप्रेड रिचार्ज को छोड़कर) को स्वीकार करते हैं। बीबीपीएस,एक अंत: परिचालनीय प्लेटफॉर्म के रूप में वर्तमान में पाँच सेगमेंट्स अर्थात डायरेक्ट टू होम (डीटीएच), बिजली, गैस, दूरसंचार और पानी के बिलों को शामिल करता है। ये दिशानिर्देश किसी भी अन्य कानून के तहत आवश्यक अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (अधिनियम 2007 का 51) की धारा 10 (2) के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत जारी किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

VI घ) एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरण

रिज़र्व बैंक ने एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का वितरण पर मास्टर परिपत्र को अब संशोधित और अद्यतन किया है और इसे पब्लिक डॉमेन में रखा है। जिसमें 30 जून 2019 तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण अनुदेशों को समेकित किया गया है। इस मास्टर परिपत्र की प्रति को यहाँ पर क्लिक कर देखा जा सकता है।

VII. अनुसंधान

अनुसंधान लेख

आरबीआई ने 12 सितंबर 2019 को सितंबर 2019 बुलेटिन जारी किया, जिसमें दो अनुसंधान लेख थे। पहला लेख सुश्री कौशिकी सिंह, श्री सक्षम सूद, सुश्री कीर्ति गुप्ता और श्री नीरज कुमार, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए केंद्रीय बजट 2019–20: एक आकलन पर है, जिसमें 5 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत की गईं केंद्रीय बजट 2019–20 की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण किया गया है। लेख में निष्कर्ष निकाला गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूंजीकरण के साथ केंद्रीय बजट में घोषित किए गए वित्तीय क्षेत्र में सुधार से अर्थव्यवस्था में समग्र ऋण वृद्धि की सुविधा होगी। दूसरा लेख विदेश व्यापार समझौतों: एक विश्लेषण पर श्रीमती रेखा मिश्रा

और सुश्री सोनम चौधरी, डीईपीआर, रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है, जो भारत के व्यापार पर व्यापार समझौतों (टीए) के प्रभाव का मूल्यांकन करती है, ताकि यह जाना जा सके कि यह गैर-भागीदार देशों के सापेक्ष अपने व्यापार समझौते भागीदार देशों के साथ कैसे विकसित हुआ है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. डेटा जारी

भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, 2018-19

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना वार्षिक प्रकाशन- भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका (एचएसबी), 2018-19 जारी किया। यह प्रकाशन जो इस श्रृंखला में 21वां प्रकाशन है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संकेतकों पर समय श्रृंखला आंकड़े प्रसारित करता है। वर्तमान खंड में 240 सांख्यिकीय सारणियां हैं, जिनमें राष्ट्रीय आय के आंकड़े, उत्पादन (आउटपुट), मूल्य, मुद्रा, बैंकिंग, वित्तीय बाजारों, सार्वजनिक वित्त, विदेशी व्यापार तथा भुगतान संतुलन और चुनिंदा सामाजिक-आर्थिक संकेतक शामिल हैं। यहाँ क्लिक कर इस प्रकाशन को एक्सेस किया जा सकता है।

IX. रिपोर्ट

IX क) कॉर्पोरेट ऋण के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर कार्यबल

श्री टी.एन.मनोहरन, अध्यक्ष, केनरा बैंक की अध्यक्षता में कॉरपोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर एक कार्यबल का गठन किया था। कार्यबल का कार्य क्षेत्र भारत में ऋण बिक्री / अंतरण के लिए बाजार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के साथ-साथ ऋण व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और भारत में कॉर्पोरेट ऋण के लिए द्वितीयक बाजार के विकास के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना था। कार्यबल ने 3 सितंबर 2019 को अपनी रिपोर्ट गवर्नर को सौंप दी है। कार्यबल की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(i) प्रतिभागियों के एक स्व-नियामक निकाय की स्थापना, जो कॉर्पोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के लिए विस्तृत तौर-तरीकों को अंतिम रूप देगा जिसमें प्रलेखन का मानकीकरण भी शामिल है;

(ii) केंद्रीय ऋण अनुबंध रजिस्ट्री स्थापित करना;

(iii) द्वितीयक बाजार ऋण की नीलामी / बिक्री प्रक्रिया का संचालन करने के लिए एक ऑनलाइन ऋण बिक्री मंच की स्थापना;

(iv) लागू मौजूदा नियमों में संशोधन के साथ-साथ ऋण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारों का प्रतिभूतिकरण और कार्य; तथा

(v) गैर-बैंकिंग संस्थाओं जैसे कि म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड की भागीदारी को सक्षम करने के लिए सेबी, आईआरडीए और पीएफआरडीए द्वारा जारी विनियमों में संशोधन।

कार्यबल की पूर्ण रिपोर्ट को यहाँ क्लिक कर पढ़ा जा सकता है।

IX ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर समिति की रिपोर्ट जारी की

डॉ. हर्ष वर्धन, वरिष्ठ सलाहकार, बैन एंड कंपनी की अध्यक्षता में गठित आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर समिति ने 9 सितंबर 2019 को अपनी रिपोर्ट गवर्नर को प्रस्तुत की। समिति की प्रमुख सिफारिशें, दक्षता बढ़ाने और लेनदेन की पारदर्शिता के व्यापक परिप्रेक्ष्य द्वारा निर्देशित हैं जो निम्नानुसार हैं:

i. बाजार निर्माण और मानक स्थापित करने के लिए, राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से एक सरकार प्रायोजित मध्यस्थ की स्थापना;

ii. डेटा संग्रह और एकत्रीकरण के लिए मानकीकृत स्वरूपों सहित ऋण उत्पत्ति, ऋण सर्विसिंग, ऋण प्रलेखन और ऋण के लिए मानक विकसित करना;

iii. प्रत्यक्ष असाइनमेंट लेन-देन और पास-थ्रू प्रमाणपत्र में शामिल लेन-देन के साथ ही साथ बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) के लिए विनियामक दिशानिर्देशों को अलग-अलग करना;

iv. एमबीएस के लिए न्यूनतम होल्डिंग अवधि (एमएचपी) और न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर) के लिए विनियामक मानदंडों में छूट;

v. पंजीकरण और स्टांप शुल्क आवश्यकताओं के लिए संशोधन और स्पष्टीकरण और प्रतिभूतिकरण के लिए लेनदेन की लागत को कम करने साथ ही पास-थ्रू प्रतिभूतियों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कर दिशा-निर्देश;

vi. वित्तीय फर्मों के लिए दिवाला कानून के तहत ऋण शोधन के लिए दिवालियापन को नियंत्रित करने के लिए ऋण संवर्धन के रूप में किसी भी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के साथ-साथ किसी भी जोखिम को अंतर्निहित परिसंपत्तियों के रूप में मानना; और,

vii. निवेशकों के रूप में अपने-अपने विनियमित संस्थाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र नियामकों द्वारा जारी नियमों में परिवर्तन ।

पूर्ण रिपोर्ट को यहाँ क्लिक कर पढ़ा जा सकता है।

X. रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधनतंत्र का भाषण

❐ श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई में 19 सितंबर 2019 को ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2019 में 'भारत के बाहरी क्षेत्र लचीलापन के आयाम' पर भाषण दिया।

❐ श्री एम.के. जैन, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 सितंबर 2019 को मुंबई में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित वित्तीय संस्थान बेंचमार्किंग और कैलिब्रेशन (एफआईबीएसी) 2019-वार्षिक वैश्विक बैंकिंग सम्मेलन में 'बैंकों में अनुपालन कार्य पर विनियामक और पर्यवेक्षी उम्मीदें' विषय पर भाषण दिया

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू https://mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।